राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

मुरलीधर बनाम शंकरलाल

तारीख हुक्म	1643/2025 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पो. अनुपस्थित एवं रेस्पो. स्वयं अनुपस्थित। उन्हें निरन्तर आवाजे लगवायी गयी किन्तु वे अनुपस्थित रहे। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 17/02/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
17/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30/05/2025 पारित करते हुये तहसीलदार चौमू को विवादित भूमि वाके ग्राम कालाडेरा, पटवार हल्का-कालाडेरा, भू.अभि. निरीक्षक क्षेत्र कालाडेरा, तहसील चौयूँ जिला जयपुर राजस्थान स्थित हाल खाता संख्या 202 के खसरा नम्बर 5274/1957 रकबा 0.5700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5277/1956 रकबा 0.8893 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5280/1961 रकबा 0.7667 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5285/980 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5288/981 रकबा 0.0055 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5291/1205 रकबा 0.2077 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5295/936 रकबा 0.1200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5297/937 रकबा 0. 0900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5299/939 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5302/978 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5303/979 रकबा 0.0850 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5306/983 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5308/984 रकबा 0.0350 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 932 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 933 रकबा 0.5600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 934 रकबा 0.5500 हैक्टेयर खसरा नम्बर 935 रकबा 0.3200 हैक्टेयर कुल किता 17 का कुल रकबा 4.9992 हैक्टेयर भूमि का जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार सभी पक्षकारों के रहवास / मकानात एवं रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिसकी पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये, जिस पर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 26/09/2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 03/10/2025 पारित कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	मुरलीधर बनाम शंकरलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय कुर्रेजात रिपोर्ट एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट में समस्त सहखातेदारान का अलग-अलग खाता व लगान प्रस्तावित नही किया गया है एवं ऐसी त्रुटीपूर्ण कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी कारित की गयी है, जो न्यायोचित्त प्रतीत नही होता है | विधि के प्रावधानों के अनुसरण में विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद के माध्यम से प्रश्नाधीन खाते के समस्त सहखातेदारों का विभाजन करते हुये उनका अलग-अलग खाता लगान कायम किया जाना आवश्यक होता है किन्तु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटी कारित की गयी है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26/09/2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 03/10/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे तहसीलदार से दोनों पक्षों की उपस्थिति में समस्त सहखातेदार के हिस्से को दर्शित करते हुये कुर्रेजात प्रस्ताव तलब कर प्राप्त कुर्रेजात पर पक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर, प्राप्त आपत्तियो का विवेचनात्मक निस्तारण करते हुये विधिसम्मत अन्तिम निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावल फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 17/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर